[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 25th February, 2010

- No. G. S. R. 5/Const./Art. 309/2010.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Excise and Taxation Department (Group-B) Service Rule, 1988, Namely:—
- 1. These rules may be called the Haryana Excise and Taxation Department (Group-B) Service (Amendment) Rules, 2010.
- 2. In the Haryana Excise and Taxation Department (Group-B) Service Rule, 1988, in rule 16,—
 - (a) in sub-rule (1)—
- (i) for the words "two years", the word "three years" shall be substituted;
 - (ii) first proviso shall be omitted;
 - (b) sub-rule (2) shall be omitted; and
 - (c) in sub-rule (3), the words "unless exempted" shall be omitted.

RAMENDRA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

भाग-III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 फरवरी, 2010

संख्या सा०का०नि० 5/संवि०/अनु० 309/2010.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नालिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. ये नियम हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2010, कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा आबकारी तथा कराधान विभाग (ग्रुप ख) सेवा नियम, 1988, में नियम 16 मे.—
 - (क) उप-नियम (1) में,---
 - (i) ''दो वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे:
 - ii) प्रथम परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा ;
 - (ख) उप-नियम (2) का लोप कर दिया जाएगा ; तथा
 - (ग) उप-नियम (3) में, ''जिसे यह परीक्षा पास करने से छूट प्रदान न की गई हो '' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

रमेन्द्र जाखू , वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।